

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/

120

/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक

दुर्गम से सुगम

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्रीमती अंजू झिंकवाण	स0अ0	रा0प्रा0वि0 अरखुण्ड जखोली।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि	डमार	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	श्री दिनेश चन्द्र पुरोहित	स0अ0	रा0प्रा0वि0 क्वीली अगस्त्यमुनि।	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि	चोपड़ा,	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृ0सं०: प्रा0शि0/सेवा-02/1444-56/वा0स्था0/2018-19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ।(सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 121

/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्रधानाध्यापक

सुगम से दुर्गम

क0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्री पुष्पा नेगी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 गंगानगर उखीमठ।	सुगम	रा0प्रा0वि0 उनियाणा उखीमठ	दुर्गम		रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग।

पू0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/1457-68/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 121

/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्रधानाध्यापक

सुगम से दुर्गम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्री पुष्पा नेगी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 गंगानगर उखीमठ।	सुगम	रा0प्रा0वि0 उनियाणा उखीमठ	दुर्गम	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग।

पू0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/1457-68 /वा0स्था0/2018-19

दिनांक: उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 122

/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को उनके आवेदन पत्रों के क्रम में तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन तैनाती विद्यालय	अभ्युक्ति
01	02	03	04	06	08
01	श्री सतीश नौटियाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गड़मिल अगस्त्यमुनि।	रा0प्रा0वि0 कोलू भन्नु अगस्त्यमुनि	रिक्त पद के प्रति
02	श्री बलवीर सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 उछोला जखोली।	रा0प्रा0वि0 सुमाड़ी जखोली।	रिक्त पद के प्रति।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
- 2.
3. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
6. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 1469-82 /वा0स्था0/2018-19

दिनांक: उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के ~~साथ~~ से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/

123

/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को उनके आवेदन पत्रों के क्रम में तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्रधानाध्यापक

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन विद्यालय	तैनाती	अभ्युक्ति
01	02	03	04	06	08	
01	श्रीमती सुधा राणा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 डौडिक अगस्त्यमुनि।	रा0प्रा0वि0 मरोडा अगस्त्यमुनि		रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- 1 स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
- 2 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 5 स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 1483-99/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 4 अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 6 जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
- 7 वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
- 8 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
- 9 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
- 11 कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ **124** /वा0स्था0/2018-19

दिनांक: **25** जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक,

सुगम से दुर्गम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	
01	श्रीमती डिमरी सुधा	स0अ0	रा0क0उ0प्रा0वि0 दुर्गाधार अगस्त्यमुनि	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0 हेडटीखाल अगस्त्यमुनि	दुर्गम	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती रावत आशा	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कालापहाड जखोली	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि	डुंग्रा	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती चन्द्रकला पुरोहित	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कोटी मदौला, अगस्त्यमुनि	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0 वनथापला अगस्त्यमुनि		दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

रुद्रप्रयाग।

दिनांक:उक्तवत।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ **1495-1508** /वा0स्था0/2018-19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के आदेश से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 125 /वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय झाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक,

दुगम से सुगम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन विद्यालय	तैनाती	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	08
01	श्री सुन्दर सिंह सिगवाल, जखोली	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कोटी अगस्त्यमुनि	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 मेदनपुर जखोली	सुगम	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	श्री शम्भू प्रसाद भट्ट	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भणगां जखोली	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 डांगी अगस्त्यमुनि	सुगम	सुगम	रिक्त पद के प्रति
03	श्री लक्ष्मण सिंह गोस्वामी	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 स्यूरबांगर	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 सरैराखाल अगस्त्यमुनि	सुगम	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

रुद्रप्रयाग।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 1509-22/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/

126

/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को उनके आवेदन पत्रों के क्रम में तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्रधानाध्यापक

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन तैनाती विद्यालय	अभ्युक्ति
01	02	03	04	06	08
01	श्रीमती बीना रावत	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सकलाना जखोली।	रा0उ0प्रा0वि0 सिल्ला अगस्तमुनि	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- 1 स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
- 2 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 5 स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/1523-34/वा0स्था0/2018-19
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 4 अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 6 जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
- 7 वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
- 8 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
- 9 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा)।
- 11 कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/

127

/वा0स्था0/2018-19

दिनांक: 25 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को उनके आवेदन पत्रों के क्रम में तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- सहायक अध्यापक

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन विद्यालय	तैनाती	अभ्युक्ति
01	02	03	04	06	08	
01	श्री महादेव प्रसाद पुरोहित	स0अ0,	रा0उ0प्रा0वि0 गन्धारी अगस्त्यमुनि।	रा0उ0प्रा0वि0 कुरझण अगस्तमुनि	क्वीली	रिक्त पद के प्रति
02	श्री हर्षराम गोस्वामी	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 ऊखीमठ	रा0उ0प्रा0वि0 भौसाल	सेमी	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- 1 स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंगे।
- 2 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4 अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 5 स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रुद्रप्रयाग।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा-02/ 1535-47 /वा0स्था0/2018-19

दिनांक: उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 4 अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 6 जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रुद्रप्रयाग।
- 7 वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
- 8 सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग।
- 9 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के अधीन से)।
- 11 कार्यालय गार्ड फाइल।